Details of NH-10 from Hisar to New Delhi

94. **SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A.**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the width of the road owned by the State Government and Government of India from Hisar to Delhi i.e. NH-10 including master plan area of towns in between Delhi and Hisar;
b) the width of green belt from construction zone on both sides of abovesaid road as per the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and rules framed there under; and
c) the number of places of construction i.e. Shops, Dhabas, Banquet Halls, Godowns and any other structure raised in the green belt area togetherwith the steps taken by the Government to remove these unauthorized constructions?

<u>DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA</u>

Sir,

The statement is laid on the table of the house.

UNSTARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 94 RAISED BY

SHRI BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A,

ROHTAK CONSTITUENCY

Reply to each part of the question is as follows:-

a) Entire road from Delhi to Hisar i.e. NH-10 (New NH-9) is owned by Govt. of India and details of width of road are at **Annexure-A**.

b) As per Section 3 of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, there is provision of 30 meter wide restricted belt along scheduled roads and 100 meter along bypass and expressways. Further, the Development Plans for different controlled areas in the State are prepared under section 5 of said Act, wherein the green belts of different widths are proposed. The detail regarding width of green belts, as proposed in the development plans for the controlled areas along NH-10, is at **Annexure B.**

c) The number of places of constructions raised in the green belt area along NH-10 falling in the Controlled Area is at **Annexure C**.

In order to discourage the upcoming unauthorized constructions in green belt along NH-10, and enforcing the action, 114 structures have been detected against which show cause notices/restoration orders have been issued. Out of these, 65 structures have been demolished whereas 20 number of FIRs have also been registered against the violators. The district wise details of the aforementioned constructions are attached as **Annexure 'C'**. It is mentioned that this data pertains to outside Municipal Limits where the provisions of Act of 1963 is applicable.

The Act of 1963 enables Department of Town & Country Planning to take actions against unauthorized constructions / structures falling in restricted belt along scheduled roads. The powers of Director, Town and Country Planning for enforcing the provisions of Act of 1963 against the unauthorized construction with respect to NH-1, NH-2 and NH-8 have been delegated to PWD (B&R). Further, as per orders dated 23.08.2012 in the case of CWP No.17048 of 2007 titled as Rajat Kucchal Vs State of Haryana, any further action under the provisions of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and Rules ibid is being taken only outside the Municipal Limits in every district.

The Town and Country Planning Department is also pro-active in spreading public awareness, so that general public does not raise unauthorized construction without taking the permission from the department. Town and Country Planning Department is undertaking demolition activities in coordination with other agencies responsible for enforcement, viz., Urban

Local Bodies, PWD(B&R) department etc. Further, for the better implementation of the provisions of the above mentioned Act, and better coordination with the District Administration, a Task Force at District Level under the chairmanship of District Magistrate has been constituted vide notification dated 11.02.2011 which includes DTP, E.E PWD(B&R), SDO (Civil) as members. Further, Town and Country Planning Department has also deputed Senior Town Planner (Enforcement & Vigilance), Haryana as Nodal Officer and Senior Town Planners of the Circles in the Department of Town & Country Planning as Sub Nodal Officers for checking the unauthorized constructions in the restricted belt along scheduled roads and to take action against them. Apart from above, regular review meetings are held by the Director, Town and Country Planning with field/ circle offices to check the progress of action against the unauthorized constructions.

<u>**Annexure-A**</u>

Details of width of road owned by Govt. of India from Delhi to Hisar i.e. NH-10 (New NH-9) as intimated by NHAI, including master plan area of towns in between Delhi and Hisar.

Sr. No.	**Road Chainage**	**Width of road owned by Govt. of India**	**Remarks**
1.	km 29.700 (Delhi/Haryana Border) to km 170.000 (Hisar) (except in village Bhaini Maharajpur and village Mayar)	60 meter	
2.	In village Bhaini Maharajpur	55 to 60 meter	As per Concession Agreement, Right of Way (ROW) of 60 meter was to be acquired but ROW restricted to width of 55 to 60 meter.
3.	In village Mayar	46 to 48 meter	As per Concession Agreement, Right of Way (ROW) of 60 meter was to be acquired but ROW restricted to width of 46 to 48 meter.

Annexure – B

WIDTH OF GREEN BELT ALONG NH-10 (HISAR TO DELHI)

<table>
<tr><th rowspan="2">District</th><th rowspan="2">Development Plan</th><th colspan="3">Width of green belt (in metres)</th></tr>
<tr><th>Within Agriculture Zone</th><th>Within Urbanisable Area & outside old MC limits</th><th>Within Old MC Limits, if any</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Jhajjar</td><td>Bahadurgarh</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Sampla*</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Area outside Development Plan/Controlled Area</td><td colspan="3">Nil, as complete stretch of NH-10, passing through district Jhajjar, falls under development plans of Bahadurgarh and Sampla.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Rohtak</td><td>Sampla*</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Rohtak</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Meham</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Area outside Development Plan/Controlled Area</td><td colspan="3">The portion of NH-10 falling between Development Plans of Rohtak and Meham is uncontrolled, wherein 30 metres wide restricted belt, under provisions of Section 3 of Act 41 of 1963, is applicable.</td></tr>
<tr><td>Bhiwani</td><td>Area outside Development Plan/Controlled Area</td><td colspan="3">The entire portion of NH-10 passing through district Bhiwani is uncontrolled, wherein 30 metres wide restricted belt, under provisions of Section 3 of Act 41 of 1963, is applicable.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Hisar</td><td>Hansi</td><td>30</td><td>30 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Mayyar</td><td>30</td><td>30</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Hisar</td><td>60</td><td>60 (100 along bypass)</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>Area outside Development Plan/Controlled Area</td><td colspan="3">The portion of NH-10 falling between Hansi Development Plan and the common district boundary of Hisar & Rohtak is uncontrolled, wherein 30 metres wide restricted belt, under provisions of Section 3 of Act 41 of 1963, is applicable.</td></tr>
<tr><td colspan="5">* Development Plan of Sampla falls in two districts.</td></tr>
</table>

Annexure- C

NO. OF PLACES OF CONSTRUCTION IN THE GREEN BELT ALONG NH-10 (HISAR TO DELHI)

Districts located along NH-10 between Hisar & New Delhi	Types of construction	No. of unauthorized constructions/ structures detected	Action under Section 12(2) of Act of 1963 within Controlled Area			
			No. of Show cause notices issued	No. of Restoration orders	No. of Demolitions	No. of FIRs Registered
Hisar	Shop	1	1	1	1	0
	Dhaba	27	27	27	16	11
	Banquet Hall	0	0	0	0	0
	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	04	04	04	0	0
	Total	**32**	**32**	**32**	**17**	**11**
Bhiwani	Shop	0	0	0	0	0
	Dhaba	0	0	0	0	0
	Banquet Hall	0	0	0	0	0
	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohtak	Shop	1	1	1	0	0
	Dhaba	47	47	47	20	5
	Banquet Hall	2	2	2	0	0
	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	2	2	2	2	2
	Total	**52**	**52**	**52**	**22**	**7**
Jhajjar	Shop	8	8	8	4	0
	Dhaba	2	2	2	2	0
	Banquet Hall	0	0	0	0	0
	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	20	20	20	20	2
	Total	**30**	**30**	**30**	**26**	**2**
	Grand Total	**114**	**114**	**114**	**65**	**20**

हिसार से नई दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग–10 का ब्यौरा

94. श्री भारत भूशण बत्तरा, एम0एल0ए0 : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) हिसार से दिल्ली तक राज्य सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाली सड़क अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग–10 जिसमें दिल्ली तथा हिसार के बीच भाहरों के क्षेत्र का मास्टर प्लान भाामिल है, की चौड़ाई कितनी है;

(ख) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 के अनुसार उपरोक्त सड़क के दोनों ओर निर्माण क्षेत्र से हरित पट्टी की चौड़ाई कितनी है तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम क्या हैं; तथा

(ग) हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण स्थलों अर्थात् दुकानों, ढ़ाबों, बैंक्वेट हॉल, गोदामों तथा बनाये गए अन्य ढ़ांचों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा इन अनाधिक'त निर्माणों को हटाने के लिए क्या पग उठाए गए ?

दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री भारत भूशण बत्तरा, एम0एल0ए0, रोहतक निर्वाचन क्षेत्र
द्वारा पूछा गया अतारांकित विधानसभा
प्रश्न संख्या 94.

प्र�न के प्रत्येक भाग का उत्तर इस प्रकार है:–

(क) दिल्ली से हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग न.10 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 9) की सारी जमीन भारत सरकार के अधीन है तथा सड़क की चौड़ाई का विवरण अनुलग्नक 'क' में विस्तारित है।

(ख) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अर्न्तगत अनुसूचित सड़क के साथ–साथ 30 मीटर तथा बाईपास और द्रूतमार्गों के साथ–साथ 100 मीटर की निर्बन्धित पट्टी का प्रावधान है। आगे, राज्य में विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा–5 के अर्न्तगत विकास योजनाएं तैयार की जाती है, जिनमें विभिन्न चौड़ाई की हरित पटि्टया प्रस्तावित है। राश्ट्रीय राजमार्ग–10 के साथ लगते नियंत्रित क्षेत्रों की विकास योजना में प्रस्तावित हरित पटि्टयों की चौड़ाई से सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक–'ख ' पर दिया गया है।

(ग) नियंत्रित क्षेत्र में राश्ट्रीय राजमार्ग–10 (हिसार से दिल्ली) के साथ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बनाए गए निर्माण के स्थानों की संख्या का विवरण अनुलग्नक–'ग' पर दिया गया है।

राश्ट्रीय राजमार्ग 10 (हिसार से दिल्ली) के साथ ग्रीन बेल्ट में आने वाली अनाधिकृत निर्माणों को हतोत्साहित करने के लिए, और अग्रिम कार्यावाही को लागू करने के लिए, 114 संरचना/इमारतों का पता लगाया गया है, जिनको कारण बताओ नोटिस व पुनर्स्थापन आदेश जारी किये गये हैं। 65 सरंचना विध्वंस की गयी हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 20 एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी गयी है। उपरोक्त निर्माणों का जिलेवार विवरण अनुलग्नक–'ग' पर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया हैं कि यह विवरण नगर निगम सीमा से बाहर नियंत्रित क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, जहां अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू हैं।

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को अनुसूचित सड़कों के साथ प्रतिबंधित बेल्ट में आने वाले अनाधिकृत निर्माणों/सरंचनाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है। अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ अधिनियम 1963 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की शक्तियां राश्ट्रीय राज मार्ग–1, राश्ट्रीय राज मार्ग–2, और राश्ट्रीय राज मार्ग–8 के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सड़क) को सौंप दी गयी है। इसके अलावा, सिविल रिट याचिका के केस नम्बर 17048 ऑफ 2007 (रजत कुच्छल बनाम हरियाणा राज्य) में पारित 23.08.2012 के आदेशों के अनुसार, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, के प्रावधानों के तहत कोई भी कार्यवाही हर जिले में केवल नगर निगम सीमा के बाहर की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जन जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय है, ताकि आम जनता विभाग से अनुमति लिए बिना अनाधिकृत निर्माण न करे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों, भाहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) आदि के साथ समन्वय में विध्वंस गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन और जिला प्रासन के साथ बेहतर समन्वय के लिए, जिला मजिस्ट्रेट स्तर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन दिनांक 11.02.2011 को अधिसूचित किया गया है जिसमें जिला नगर योजनाकार, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), उपमण्डल अभियंता (सिविल) भाामिल है। इसके अलावा, अनुसूचित सड़कों के साथ प्रतिबंधित बेल्ट में अनाधिकृत जांच और उनके खिलाफ कारवाई करने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ने वरिश्ठ नगर योजनाकार (प्रवर्तन और चौकसी) को हरियाणा में नोडल ऑफिसर और नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के सर्कल कार्यालय में वरिश्ठ नगर योजनाकारों को सब–नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। उपरोक्त के अलावा, अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कारवाई की प्रगति की जांच करने के लिए फील्ड/सर्कल कार्यालयों के साथ निदेाक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक–'क'

भारत सरकार के स्वामित्व में दिल्ली से हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–9) की चौड़ाई का विवरण, जिसमें दिल्ली तथा हिसार के बीच भाहरों के क्षेत्र का मास्टर प्लान भाामिल है, इस प्रकार हैः–

कमांक	चेनेज	भारत सरकार के स्वामित्व में सड़क की चौड़ाई	टिप्पणी
1.	कि0मी0 29.700 (दिल्ली हरियाणा सीमा) से कि0मी0 170.000 (हिसार) (गांव भैनी महाराजपुर और गांव मयैड के अलावा)	60 मीटर	
2.	गांव भैनी महाराजपुर में	55 से 60 मीटर	कनसै□ान एग्रीमेंट के अनुसार 60 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहण की जानी थी परन्तु केवल 55 से 60 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहण की गई है।
3.	गांव मयैड में	46 से 48 मीटर	कनसै□ान एग्रीमेंट के अनुसार 60 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहण की जानी थी परन्तु केवल 46 से 48 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहण की गई है।

अनुलग्नक –'ख'

राश्ट्रीय राजमार्ग 10 (हिसार से दिल्ली) के साथ हरित पट्टियों की चौड़ाई

जिला	विकास योजना	हरित पट्टी की चौड़ाई (मीटर में)		
		कृशि अचंल में	भाहरीकरण योग्य क्षेत्र में तथा पुरानी नगर पालिका सीमा से बाहर	पुरानी नगर पालिका सीमा के अन्दर, यदि कोई है
झज्जर	बहादुरगढ़	60	60 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	सांपला*	60	60 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	विकास योजना / नियंत्रित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र	भाून्य, जिला झज्जर से गुजरने वाला राश्ट्रीय राजमार्ग 10 का संपूर्ण हिस्सा बहादुरगढ़ तथा सांपला की विकास योजनाओं के अर्न्तगत के आता है।		
रोहतक	सांपला*	60	60 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	रोहतक	60	60 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	महम	60	60 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	विकास योजना / नियंत्रित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र	रोहतक तथा महम की विकास योजनाओं के बीच पड़ने वाला राश्ट्रीय राजमार्ग 10 का हिस्सा नियंत्रित क्षेत्र नहीं है, जहां पर 1963 के अधिनियम 41 की धारा–3 के प्रावधानों के अनुसार 30 मीटर चौड़ी निर्बन्धित पट्टी लागू है।		
भिवानी	विकास योजना / नियंत्रित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र	जिला भिवानी से गुजरने वाला राश्ट्रीय राजमार्ग–10 का संपूर्ण हिस्सा नियंत्रित क्षेत्र से बाहर है, जहां पर 1963 के अधिनियम 41 की धारा–3 के प्रावधानों के अनुसार 30 मीटर चौड़ी निर्बन्धित पट्टी लागू है।		
हिसार	हांसी	30	30 (बाईपास के साथ–साथ 100)	भाून्य
	मय्यड़	30	30	लागू नहीं
	हिसार	60	60 (बाईपास के साथ–साथ	भाून्य

			100)	
	विकास योजना/नियंत्रित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र	हांसी विकास योजना तथा हिसार और रोहतक की संयुक्त जिला सीमा के मध्य पड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का हिस्सा नियंत्रित क्षेत्र नही है, जहां पर 1963 के अधिनियम 41 की धारा–3 के प्रावधानों के अनुसार 30 मीटर चौड़ी निर्बन्धित पट्टी लागू है।		
* सांपला की विकास योजना दो जिलों में पड़ती है।				

अनुलग्नक –'ग'

नियंत्रित क्षेत्र में राश्ट्रीय राजमार्ग 10 (हिसार से दिल्ली) के साथ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बनाए गए निर्माण के स्थानों की संख्या का विवरणः–

हिसार से दिल्ली के बीच में स्थित जिलों की सूची	निर्माण के प्रकार	अनाधिकृत निर्माणों / सरंचनाओं की संख्या	नियंत्रित क्षेत्र के भीतर 1963 के अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत कार्यवाही			
			जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की संख्या	जारी किये गये पुर्नस्थापन नोटिस की संख्या	विध्वंस की संख्या	पंजीकृत एफ0आई0 आर0 की संख्या
हिसार	दुकान	1	1	1	1	0
	ढाबा	27	27	27	16	11
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	04	04	04	0	0
	कुल जोड़	**32**	**32**	**32**	**17**	**11**
भिवानी	दुकान	0	0	0	0	0
	ढाबा	0	0	0	0	0
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
रोहतक	दुकान	1	1	1	0	0
	ढाबा	47	47	47	20	5
	बैंकेट हाल	2	2	2	0	0
	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	2	2	2	2	2
	कुल जोड़	**52**	**52**	**52**	**22**	**7**
झज्जर	दुकान	8	8	8	4	0
	ढाबा	2	2	2	2	0
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	20	20	20	20	2
	कुल जोड़	**30**	**30**	**30**	**26**	**2**
	मुख्य जोड़	**114**	**114**	**114**	**65**	**20**